फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष न्याय
	5/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 15 के विरुद्ध मूलवाद में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अतः उक्त प्रा.पत्र मे भी अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 15 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रार्थी की प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करने एवं वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरांत विवादित आराजी ख.नं 291 कुल रकबा 3.1865 हैक्टे. स्थित ग्राम जटवाडा प.ह. जटवाडा तह. बस्सी जिला जयपुर में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त आराजी भूमि पर ताफैसला वाद के प्रार्थी के 1/24 हिस्से की भूमि तक मौके एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

[illegible]